भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1462**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 28 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

डी.ई.एच. के अंतर्गत उत्पाद

1462. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार जिला निर्यात हब (डीईएच) और 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) पहलों के अंतर्गत बलांगीर और सुबरनपुर जिलों के लिए चिह्नित उत्पादों का ब्यौरा क्या है तथा संबंधित जिला निर्यात कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान बलांगीर और सुबरनपुर में प्रदान की गई वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और संचालित किए गए निर्यात प्रोत्साहन कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों जिलों से हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि आधारित उत्पादों और वनोपज की निर्यात क्षमता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बलांगीर और सुबरनपुर में निर्यात बढ़ाने, बाजार तक पहुंच में सुधार करने और निर्यातकों के लिए संभारतंत्र सहायता को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या जिला निर्यात हब पहल जिला-विशिष्ट निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जिला निर्यात योजना को 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीओपी) के साथ एकीकृत करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (ड.) निर्यात केंद्र के रूप में जिले (डीईएच) और एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहलों के तहत, निर्यात संवर्धन के लिए चिह्नित विशिष्ट उत्पादों में बलांगीर जिले के लिए प्याज और कपास, और सुबरनपुर (सोनपुर) जिले के लिए बोम्केई साड़ी और कपड़े के साथ-साथ टेराकोटा शामिल हैं। इस पहचान के बाद, इन दोनों जिलों के लिए अपेक्षित मध्यस्थताओं की रूपरेखा तैयार करने के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाओं (डीईएपी) का मसौदा तैयार कर लिया गया है।

निर्यात हब के रूप में जिले पहल एक सहयोगात्मक और सुविधाजनक ढांचा है। इसमें कोई अलग वित्तीय परिव्यय नहीं है या जिलों या निर्यातकों को कोई प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। इसका उद्देश्य जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और जिला-स्तरीय हितधारकों को एक साझा मंच पर लाना है, ताकि जमीनी स्तर पर चिह्नित निर्यात बाधाओं को केंद्र और राज्य सरकारों की चल रही स्कीमों का लाभ उठाकर और उनके बीच सामंजस्य को बढ़ावा देकर दूर किया जा सके।

डीईएच पहल विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के तहत ओडीओपी स्कीम के साथ पूरी तरह से एकीकृत है। एफटीपी के पैरा 3.2 के अनुसार, डीईएपी, विशेष रूप से, गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और वैश्विक बाजार पहुंच के बारे में, शुरु से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए जिला-विशिष्ट ओडीओपी और भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग किए गए उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं।

डीईएच पहल के तहत, गुणवत्ता प्रमाणन, परीक्षण, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ई-कॉमर्स निर्यात और अंतरराष्ट्रीय बाजार पहुंच से संबंधित वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और निर्यात संवर्धन गतिविधियों को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, निर्यात संवर्धन परिषदों, पण्य बोर्डों और राज्य सरकारों की चल रही स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान निर्यात बढ़ाने और लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने के लिए, जमीनी स्तर पर संस्थागत व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है। सुबरनपुर के लिए जिला निर्यात संवर्धन समिति (डीईपीसी) को औपचारिक रूप से 9 जुलाई, 2020 को अधिसूचित किया गया था। कोलकाता में नोडल डीजीएफटी क्षेत्रीय प्राधिकरी द्वारा समन्वित, ये समितियां परिचालन बाधाओं को दूर करने और अंतरराष्ट्रीय क्रेता सम्पर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य निर्यात संवर्धन समिति (एसईपीसी) और भागीदार एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती हैं।

स्थानीय क्षेत्रों की निर्यात क्षमता- हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि-आधारित उत्पादों और वन उत्पादों सहित- का डीईपी की तैयारी के दौरान व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।
